

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदर्श ढूंढा

प्रार्थीगण  
1. पुखराज पुत्र भोमाराम 2. तोगाराम पुत्र भोमाराम  
3. गेमराराम पुत्र भोमाराम जाति कुम्हार निवासी  
नागणेचिया ढूण्डा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चेतनराम पुत्र विशनाराम 2. उदाराम पुत्र विशनाराम 3. आसूराम पुत्र विशनाराम 4. उम्मेदाराम पुत्र विशनाराम 5. जोगाराम पुत्र विशनाराम। जाति जाट निवासी नया भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर 6. खेताराम पुत्र गोकलाराम जाति मेघवाल निवासी नागणेचियान ढूण्डा तहसील व जिला बाड़मेर 7. राहिंगाराम पुत्र हमीराराम 8. जेमताराम पुत्र हमीराराम 9. फरसाराम पुत्र हमीराराम 10. किशनाराम पुत्र हमीराराम 11. आईदानराम पुत्र हमीराराम 12. टीकमाराम पुत्र हमीराराम 13. लुम्भाराम पुत्र तगाराम 14. शम्भूराम पुत्र तगाराम निवासी नागणेचियान ढूण्डा तहसील व जिला बाड़मेर 15. खेराजराज पुत्र उमाराम 16. हेमाराम पुत्र उमाराम 17. मेहताराम पुत्र उमाराम 18. भंवरलाल पुत्र उमाराम 19. निम्बाराम पुत्र बगताराम 20. गुलाबाराम पुत्र बगताराम 21. जेहराराम पुत्र बगताराम जातियान मेघवाल निवासीयान नागणेचियान ढूण्डा तहसील व जिला बाड़मेर 22. अशोक कुमार पुत्र तेजाराम जाति खत्री निवासी हिगलाज नगर बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-123/2021 दिनांक-15.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नागणेचिया ढूण्डा पटवार क्षेत्र कवास तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 729/510 रकबा 13.10 बीघा, खसरा नंबर 957/510 रकबा 13.10 बीघा, व खसरा नंबर 958/510 रकबा 09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 15/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6304-6307

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाथ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पुखराज पुत्र भोमाराम वगैरह जाति कुम्हार निवासी नागणेचिया ढूण्डा तहसील व जिला बाड़मेर
4. चेतनराम पुत्र विशनाराम वगैरह जातियान जाट/मेघवाल/खत्री निवासी नया भुरटिया/नागणेचिया ढूण्डा/हिगलाज नगर तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर